न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

51/2012

1. प्रकाशवीर पुत्र विद्यासागर जाति जैन निवासी मांगरोल जिला बारां
2. बोवी जैन उर्फ विनिता जैन पत्नि श्री प्रकाशवीर जैन जाति महाजन निवासीगण मांगरोल

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. अरूण कुमार पुत्र विद्यासागर महाजन निवासी मांगरोल हाल पुराना जवाहर नगर ए 140 कोटा
2. कमल कुमार पुत्र विद्यासागर महाजन निवासी मांगरोल
3. सुनीता कुमार उर्फ सोनू पुत्री विद्यासागर पत्नि राजकुमार जैन नि0 मांगरोल हाल निवासी म0 नं0 3386 चांदपोल जयपुर
4. निरंजन कुमार पुत्र पानाचंद महाजन नि0 मांगरोल
5. वीरेन्द्र कुमार पुत्र पानाचंद महाजन नि0 मांगरोल
6. रवीन्द्र कुमार पुत्र पानाचंद महाजन नि0 मांगरोल
7. निर्मला पुत्री पानाचंद पत्नि नरेश कुमार नि0 भटक भैरू का पाडा बून्दी
8. मन्जूलता पुत्री पानाचंद पत्नि नरेश कुमार महाजन नि0 मोहन मार्केट नागौर
9. अर्चना पुत्री पानाचंद पत्नि पदमसिंह महाजन नि0 कमल भवन चन्देरी जिला गुना मध्यप्रदेश
10. प्रियंका पुत्री पानाचंद पत्नि सुरेन्द्र कुमार महाजन नि0 न्यू पाटौदी टेन्ट हाउस चौमुखा बाजार बारां
11. गुणमाला बेवा पानाचंद महाजन नि0 मांगरोल
12. बाबूलाल पुत्र मांगीलाल गोचर नि0 बम्बोरी रोड मांगरोल
13. भंवरलाल पुत्र नारायण गूजर नि0 मांगरोल
14. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 183 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)
वकील वादीगण : श्री अजीत कुमार जैन
वकील प्रतिवादीगण : श्री भंवर सिहं गौड
दायरा दिनांकः 23.04.2012 निर्णय दिनांक : 05.03.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की शामलाती खाते की भूमि ग्राम मांगरोल तह0 मांगरोल में खसरा नं0 3545/4705 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3546 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 3578 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 3625 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 3626 रकबा 1.80 है0 कुल किता 5 रकबा 7.01 है0 भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड हाल जमाबंदी मांगरोल में शामलाती रूप से बतौर खातेदार कृषक दर्ज है। उक्त आराजी में वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का 1/2 यानी 3.55 है0 तथा प्रतिवादीगण नं0 4 लगायत 11 का हिस्सा भी 1/2 बनता है।

सत्यमेव जयते
Copy - Not Official

वादी के पिता पानाचंद व विद्यासागर ने पूर्व में ही मौखिक रूप से बंटवारा कर पर काबिज काश्त करते आ रहे है। वादी का हिस्सा उक्त भूमि ग्राम मांगरोल में स्थित 1/3 यानी 3.55 है0 में से 1/4 बनता है। उसको वादीगण प्रथक रूप से अपने नाम दर्ज अधिकारी व नालिशी है। अतः ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 546 खसरा नं0 /4705 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3546 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 3578 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 3625 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 3626 रकबा 1.80 है0 कुल किता 5 रकबा 7.01 है0 में वादी तथा प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का हिस्सा 1/2 में से वादी का हिस्सा 3.55 है0 में 1/4 हिस्सा प्रथक रूप से दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवायी जावें तथा प्रतिवादी कम 1, 2 व 12, 14 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त भूमियां वादपत्र में वर्णित हिस्सा कुल 3.55 है0 में हिस्सा 1/4 को ना तो स्वयं काश्त करे और ना अन्य व्यक्ति से करावें वादी के हिस्से को पांती काश्त व मुनाफे काश्त पर नही देवें तथा वादी को स्वयं काश्त करने देवें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 23.04.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 5, 11, 12 व 14 की ओर से कोई भी उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी कम 2, 4 व 6 की और से वकील श्री भंवर सिंह गौड ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। वकील प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा पेश नही करने पर दिनांक 28.04.2016 को जवाब बन्द किया गया। जवाब बन्द होने से पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी मे लाई गयी।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो एवं प्रदर्शो के आधार पर वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मांगरोल में स्थित आराजी खाता संख्या 546 खसरा नं0 3545/4705 रकबा 0.08 है0, खसरा नं0 3546 रकबा 2.96 है0, खसरा नं0 3578 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 3625 रकबा 2.08 है0, खसरा नं0 3626 रकबा 1.80 है0 कुल किता 5 रकबा 7. 01 है0 में का 1/2 यानी 3.55 है0 में वादीगण का हिस्सा 1/4 अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी आराजी को पृथक से खाते दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार मांगरोल को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।